रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072020-220428
CG-DL-E-08072020-220428

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2020/आषाढ़ 16, 1942
No. 329] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2020/ASADHA 16, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 432(अ).—साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित मजदूरी संहिता, 2019(2019 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित प्रारूप नियमों को बनाने और-

(i) मजदूरी संदाय (कार्यविधि) नियम, 1937;

(ii) मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009;

(iii) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950;

(iv) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011;

(v) विभिन्न श्रम कानून नियम, 2017 के अंतर्गत रजिस्टर रखने के सहज अनुपालन में, जिस सीमा तक समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976(1976 का 25) की धारा 13, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) की धारा 29 और धारा 30 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम बनाए गए हैं और तद्नुसार इन्हें लागू किया गया है;

(vi) बोनस संदाय नियम,1975;

(vii) समान पारिश्रमिक नियम, 1976; और

(viii) समान पारिश्रमिक नियम, 1991 संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति;

के अधिक्रमण में,जिन्हें मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936(1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11), बोनस संदाय अधिनियम, 1965(1965 का 21) और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976(1976 का 25) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार ने बनाया है, इनका उक्त मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 69 द्वारा, ऐसे अधिक्रमण से पहले या विलोप किए गए कार्यों को छोड़कर, निरसन किया जाता है, और इन्हें इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा 67 की उप -धारा(1) द्वारा यथाअपेक्षित अधिसूचित किया जाता है, और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, जिस सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों तो, श्री एम.ए.खान, उप निदेशक (ma.khan15@nic.in) और श्रीमती रचना बोलीमेरा, सहायक निदेशक (r.bolimera@nic.in), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारम्भ**.- (1) इन नियमों का नाम मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है।

(3) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख के पश्चात् मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के लागू होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "प्राधिकारी" से अभिप्रेत धारा 45 की उप –धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी है;

(ग) "अपील" से अभिप्रेत धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई अपील है;

(घ) "बोर्ड" से अभिप्रेत धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है;

(ङ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत बोर्ड का अध्यक्ष है;

(च) "संहिता" से अभिप्रेत मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) है;

(छ) "समिति" से अभिप्रेत धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति है;

(ज) "दिन" से अभिप्रेत मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाले 24 घंटे की अवधि है;

(झ) "फॉर्म" से अभिप्रेत इन नियमों में संलग्न फॉर्म है;

(ञ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करे;

(ट) "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" से अभिप्रेत धारा 51 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, अधिसूचना के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है;

(ठ) "सदस्य" से अभिप्रेत बोर्ड का सदस्य है, जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ड) "मेट्रोपोलिटन क्षेत्र" से अभिप्रेत वह सुसंबद्ध क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या चालीस लाख अथवा अधिक है जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं;

(ढ) "गैर-मेट्रोपोलिटन क्षेत्र" से अभिप्रेत वह सुसंबद्ध क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक लेकिन चालीस लाख से कम है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं;

(ण) "जनसंख्या" से अभिप्रेत वह जनसंख्या है जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं;

(त) "पंजीकृत ट्रेड यूनियन" से अभिप्रेत वह ट्रेड यूनियन है जो ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926(1926 का 16) के अंतर्गत पंजीकृत है;

(थ) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत वह क्षेत्र है जो मेट्रोपोलिटन क्षेत्र अथवा गैर-मेट्रोपोलिटन क्षेत्र नहीं है;

(द) "अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों की अनुसूची है;

(ध) "धारा" से अभिप्रेत इस संहिता की धारा है;

(न) "अर्ध कुशल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;

(प) "कुशल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;

(फ) "अकुशल व्यवसाय" से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल शामिल नहीं होती है;

(ब) इन नियमों में यहां पर प्रयुक्त जिन सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है उनका क्रमश: वही अर्थ लिया जाएगा जो इस संहिता में दिया गया है।

अध्याय II

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति. **– (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड * को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाएगी, नामत:-**

(I) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन व्यस्क उपभोग इकाइयों के समान है;

(II) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत;

(III) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा;

(IV) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;

(V) ईंधन, बिजली, और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20% होंगी;

(VI) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्कताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा;

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को आठ से भाग और एक महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा, और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को नजरअंदाज किया जाएगा।

4. मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के मानदंड.- (1) धारा 6 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करते समय केंद्रीय सरकार संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को तीन वर्गों अर्थात मेट्रोपोलिटन क्षेत्र, गैर-मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, कौशल वर्गीकरण के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ, एक तकनीकी समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत:-

(i) मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) – अध्यक्ष;

(ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव, भारत सरकार जो मजदूरी संबंधी कार्य देख रहे हैं - सदस्य;

(iii) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रतिनिधि जो कौशल विकास का कार्य देख रहे हैं - सदस्य;

(iv) रोजगार महानिदेशक, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार - सदस्य;

(v) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा नामित मजदूरी निर्धारण में दो तकनीकी -सदस्यगण; और

(vi) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उप सचिव, भारत सरकार जो मजदूरी संबंधी कार्य देख रहे हैं - सदस्य सचिव।

---

* नियम 3 के प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व कर्मकार बनाम मैनेजमेंट ऑफ रेप्टाकोस ब्रैट एंड कं. लि. एवं अन्य, 1992 एआईआर में दिए गए निर्णय में घोषित मापदंडों और 15वें भारतीएय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) की अनुशंसाओं पर आधारित हैं।

(3) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनूसूची ङ में विनिर्दिष्ट व्यवसायों को संशोधित करके, हटाकर अथवा कोई भी प्रविष्टि जोड़कर चार वर्गों में अर्थात अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल वर्गों में वर्गीकृत करेगी।

(4) उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति उप नियम(3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को सलाह देते समय यथा संभव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढांचे को ध्यान में रखेगी।

5. मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अंतराल.- यह प्रयास किया जाएगा जिससे निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्तूबर से पहले न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए की जा सके।

6. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या.—(1) धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत सामान्य कार्य दिवस में कार्य के आठ घंटे शामिल होगे और विश्राम का एक या अधिक अंतराल कुल मिलाकर एक घंटे से अधिक नहीं होगा।

(2) कर्मचारी के कार्य दिवस को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि उसका फैलाव विश्राम के अंतराल को, यदि है तो, मिलाकर किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक नहीं होगा।

(3) कृषि रोजगार में नियोजित कर्मचारी के मामले में उप –नियम (1) और (2) के प्रावधान केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले ऐसे आशोधनों के अध्यधीन होंगे।

(4) इस नियम से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के प्रावधान प्रभावित नहीं समझे जाएंगे।

7. विश्राम का साप्ताहिक दिन.— (1) इस नियम के प्रावधानों के अध्यधीन कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक दिन का विश्राम दिया जाएगा(इसके बाद "विश्राम दिन" के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सामान्य रूप से रविवार होगा**,** लेकिन नियोक्ता सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की श्रेणी के लिए विश्राम का दिन नियत कर सकता है।

परन्तु यह कि इस उप- नियम के अधीन कर्मचारी विश्राम दिन का हकदार होगा यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन लगातार न्यूनतम छह दिन काम किया है:

आगे यह भी उपबंध किया जाता है कि कर्मचारी को विश्राम दिन के रूप में नियत दिन और बाद में विश्राम दिन में परिवर्तन की सूचना परिवर्तन करने से पहले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा इस संबंध में रोजगार के स्थान पर विनिर्दिष्ट स्थान पर सूचना प्रदर्शित करके दी जाएगी।

स्पष्टीकरण**.-** इस उप-नियम के प्रथम उपबंध में विनिर्दिष्ट न्यूनतम छह दिनों की लगातार अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ किसी भी दिन कर्मचारी को कार्य करना अपेक्षित है लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता है और उसे काम नहीं दिया जाता है, तब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान पर किसी दिन कर्मचारी को कामबंदी पर रखा जाता है और विश्राम दिन के तुरन्त पहले छह दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सवेतन या वेतनरहित छुट्टी या अवकाश दिया जाता है तब उन्हें वे दिन माने जाएंगे जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद में पांच दिनों में से किसी एक पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया है अथवा लेगा।

यह उपबंध किया जाता है कि कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूरे विश्राम दिन के बिना लगातार 10 दिन से अधिक काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद पांच दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, काम के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिन आया है।

(4) कर्मचारी को -

(क) विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी जाएगी; और

(ख) जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे समयोपरि दर से और विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी:

यह भी उपबंध किया जाता है कि जहां -

(i) संहिता के अंतर्गत यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई; अथवा

(ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी,

तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(iii) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए समयोपरि दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस उपबंध के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य श्रम आयुक्त(केंद्रीय) अथवा उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय), इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेंगे।

यह भी उपबंध किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब विश्राम दिन अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, मजदूरी वह होगी जिसे केंद्रीय सरकार उस रोजगार के संबंध में इस संहिता के अंतर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित करे।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम में 'अगला पूर्ववर्ती दिन' से अभिप्रेत वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत वह अंतिम दिन होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के प्रावधान अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है तो, नहीं डालेंगे, जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अथवा किसी पंचाट, अनुबंध अथवा सेवा की संविदा की शर्त के अंतर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल पूर्वकथित अनुकूल शर्तों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से अभिप्रेत शनिवार रात्रि की अर्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि है।

8. रात्रि पाली.— जहां पर कर्मचारी रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्ध रात्रि के पश्चात भी चलती है, तब, -

(क) नियम के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से अभिप्रेत 7, इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि है; और

(ख) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

9. धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा एवं शर्तें.- यदि कर्मचारी -

(क) आपातस्थिति में कार्यरत है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया या उसे रोका नहीं सकता था;

(ख) प्रारम्भिक या पूरक प्रकृति के कार्यों में लगा हुआ है जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए;

(ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अनिरंतर है;

(घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से ड्यूटी समाप्त होने से पूरा किया जाना है; और

(ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था;

तब नियम 6,7,और 8 के प्रावधान इस शर्त के अध्यधीन लागू होंगे कि –

(i) कर्मचारी के कार्यघंटों का फैलाव किसी भी दिन में 16 घंटों से अधिक नहीं होगा; और

(ii) विश्राम के अंतराल को छोड़कर वास्तविक कार्य घंटे और निष्क्रियता की अवधि, जिसके दौरान कर्मचारी ड्यूटी पर हो सकता है लेकिन उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी भी दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं होगी।

10. लम्बी मजदूरी अवधि.- धारा 14 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

अध्याय III

निर्वाह मजदूरी

11. निर्वाह मजदूरी नियत करने की रीति.—(1) केंद्रीय सरकार, धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत के अंतर्गत न्यूनतम निर्वाह स्तरके साथ-साथ नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (i) में यथा विनिर्दिष्ट मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए भोजन, वस्तुओं, आवास और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य विचारित उपयुक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड से परामर्श करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत परामर्श से बोर्ड की प्राप्त सलाह को केंद्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को उनसे परामर्श करने के लिए परिचालित किया जाएगा।

(3) उप- नियम(2) में संदर्भित बोर्ड की सलाह और उप-नियम में संदर्भित परामर्श से राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी नियत करने से पहले विचार किया जाएगा।

(4) केंद्रीय सरकार उप-नियम(1) के अंतर्गत नियत निर्वाह मजदूरी को सामान्यतया पांच वर्ष से अनधिक अंतराल पर संशोधित और बोर्ड के परामर्श से आवधिक रूप से निर्वाह लागत में भिन्नता को समायोजित कर सकती है।

11क. **—धारा 10 के उपबंध के खंड (ii) के अंतर्गत परिस्थितियां**. —कर्मचारी धारा 10 के अंतर्गत पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह तत्समय लागू अन्य किसी विधि के अंतर्गत ऐसी मजदूरी का हकदार नहीं है।

12. राज्य सरकारों के साथ परामर्श की रीति.— केंद्रीय सरकार नियम 11 के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी नियत करने से पहले बोर्ड की सलाह लेगी और आवश्यक समझे जाने पर ऐसी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी।

अध्याय IV

मजदूरी का भुगतान

13. धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत वसूली.- जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक है, तब अधिकता को अग्रेनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

14. धारा 19 की उप-धारा(1) के अंतर्गत प्राधिकारी.- जिस उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)के पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का क्षेत्राधिकार है, वह धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

15. धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सूचना प्रदर्शित करने की रीति.- धारा 19 की उप-धारा (2) में संदर्भित सूचना को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी सूचना की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके और सूचना की एक प्रति क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास भेजी जाएगी।

16. धारा 19 की उप-धारा(3) के अंतर्गत कार्यविधि.- नियोक्ता नियम 14 में संदर्भित जुर्माना लगाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों की लिखित रूप में सूचना उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को देगा, जो स्वीकृति को प्रदान या इंकार करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

17. कटौती की सूचना.- (1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबंध के अनुसरण में कोई भी कटौती करता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना ऐसी कटौती के कारणों स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तारीख से 10 दिन के अंदर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को देगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाए गए नियम के उल्लंघन में है, तब वह नियोक्ता के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।

18. धारा 21 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कटौति की प्रक्रिया:- यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती करना चाहता है, तो वह –

(i) कर्मचारी को विशिष्ट रूप में उसकी निगरानी के लिए उसे सौपे गए सामान के नुकसान अथवा हानि अथवा धन के नुकसान के लिए जिसके लिए वह उत्तरदायी है तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा हानि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है, के बारे में व्यक्तिगत रूप से तथा लिखित में कर्मचारी को उल्लेख करेगा; और

(ii) तत्पश्चात्, कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा तथा किसी नुकसान अथवा हानि के लिए यदि कोई कटौति की जाती है, तो ऐसी कटौति करने की तारीख से 15 दिन के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाऐगी।

19. धारा 23 के अंतर्गत अग्रिम वसूली के संबंध में शर्तें – वसूली, जैसा मामला हो,

(i) धारा 23 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात् कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; अथवा

(ii) किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अर्जित नहीं किया है, का भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किश्तों में संबंधित कर्मचारी के वेतन में नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई एक किश्त अथवा सभी किश्तें उस वेतन अवधि में कर्मचारी की वेतन अवधि में वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रपत्र-I में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

20. धारा 24 के अंतर्गत कटौती – केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निदेश अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन होंगी।

अध्याय V

बोनस का भुगतान

21. छठे लेख वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना – छठे लेख वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे तथा छठे लेख वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

22. सातवे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना – सातवें लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (ii) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे, छठे एवं सातवें लेख वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

23. धारा 32 के खण्ड (क) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना – किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

24. धारा 32 के खण्ड (ख) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना – किसी नियोक्त द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

25. धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अतिरिक्त राशियों की कटौति – नियोक्ता के संबंध में अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशियों की कटौति धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत पूर्व शुल्कों के रूप में सकल लाभ से की जाएगी।

26. धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अग्रनयन करने का ढंग – किसी लेखा वर्ष में जहां आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतेय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक हो जाता है, तो वह अधिक राशि को, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन के 20 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन, अनुसूची 'क' में वर्णित अनुसार ढंग से बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने के लिए चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष और इसी प्रकार आगे के लेखा वर्षों में सेट ऑन करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

27. धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अग्रनयन करने का ढंग - किसी लेखा वर्ष में जहां कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं है अथवा उस वर्ष में आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतेय न्यूनतम बोनस की राशि से कम हो जाता है, तथा नियम 26 के अंतर्गत अग्रेनीत कोई राशि अथवा प्रर्याप्त राशि नहीं है तथा सेट ऑन नहीं है जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है, वहां, ऐसी न्यूनतम राशि अथवा कमी, जैसा भी मामला हो, को अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग के अनुसार चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों में सेट ऑफ करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

अध्याय VI

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया–

28. बोर्ड का गठन (1) बोर्ड में केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में निर्दिष्टानुसार नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्टानुसार स्वतंत्र व्यक्ति एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधी शामिल होंगे।

(2) धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में संदर्भितानुसार नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह होगी तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ख) में संदर्भित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बारह होगी।

3. केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे, नामत:-

(i) अध्यक्ष;

(ii) दो संसद सदस्य;

(iii) चार सदस्य जिनमें से प्रत्येक वेतन एवं श्रम संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में व्यावसायिक होगा।

(iv) एक सदस्य जो औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 7क के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी है अथवा रह चुका है; और

(v) दो सदस्य जिनमें से प्रत्येक धारा 42 की उप-धारा (4) में संदर्भित राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा, जहां तक संभव हो, उसे राज्यों से रोटेशन आधार पर लिया गया हो।

4. धारा 42 के खण्ड (घ) में संदर्भित राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधियों में प्रत्येक ऐसे राज्य के राज्य श्रम विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव अथवा आयुक्त होंगे जिनका निर्धारण केन्द्र सरकार रोटेशन आधार पर समय-समय पर करे।

5. केन्द्र सरकार, बोर्ड के सदस्य नामित करते समय, इस बात का ध्यान रखेगी कि उप-नियम (2) के अंतर्गत स्वतंत्र सदस्यों के संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक न हो तथा बोर्ड के सदस्यों में एक-तिहाई महिलाएं होंगी।

29. बोर्ड के अतिरिक्त कार्य – धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त, यह बोर्ड केन्द्र सरकार द्वारा संदर्भ मांगने पर सरकार को निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देता है –

(i) श्रमजीवी पत्रकारों एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों (सेवा शर्तों) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में परिभाषितानुसार श्रमजीवी पत्रकारों; और

(ii) बिक्रि संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम,1976 (1976 का 11) की धारा 2 के ख़ण्ड (घ) में परिभाषितानुसार बिक्रि संवर्धन कर्मचारी।

30. बोर्ड की बैठक :- अध्यक्ष, नियम 32 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है:

बशर्ते कि न्यूनतम आधे सदस्यों से लिखित में मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के अंदर बैठक बुलाऐंगे।

31. बैठक का नोटिस – अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का निर्धारण करेंगे तथा उक्त विवरण को शामिल करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम-से कम पन्द्रह दिन पहले पंजीकृत डाक एवं इलैक्ट्रोनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा:

बशर्ते कि आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्य को केवल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।

32. अध्यक्ष के कार्य:- अध्यक्ष

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे:

बशर्ते कि किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे;

(iii) जब बोर्ड की बैठक में, यदि कोई मुद्दा मतदान द्वारा निर्णित किया जाना है, तो मतदान कराऐंगे तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेंगे अथवा कराऐंगे।

33. गणपूर्ति – किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि न्यूनतम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है;

बशर्ते कि, यदि किसी बैठक में एक-तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष उस बैठक को मूल बैठक की तारीख से अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं तथा ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो:

बशर्ते कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक से सूचित किया जाए।

34. बोर्ड के कार्य का निपटान – बोर्ड के सभी कार्यों पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा कार्यों का निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा;

बशर्ते कि अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो निदेश दे सकते हैं कि किसी मामले के संबंध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा:

इसके साथ-साथ शर्त यह है कि पूर्ववर्ती परंतुक के अंतर्गत किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यूनतम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

35. मतदान का तरीका – बोर्ड में मतदान सामान्यत: हाथ उठाकर किया जाएगा परंतु यदि सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ढंग से कराया जाएगा।

36. बैठकों कार्यवाहियां – (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरंत बाद हर हाल में अगली बैठक से सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य तथा केन्द्र सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठकों की कार्यवाहियों की अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

37. गवाहों को आहूत करना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण (i) अध्यक्ष, यदि अपने कर्तव्य के निवर्हन के दौरान अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रस्तुत होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आहूत कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे बुलाया जाता है तथा जो बोर्ड के समय गवाह के रूप में प्रस्तुत होता है, वह अपने द्वारा किए गए खर्च के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले गवाहों को देय भत्ते के भुगातन के लिए उस समय प्रवृत्त स्केल के अनुसार भत्ता का पात्र होगा।

38. समितियों की नियुक्ति – केन्द्र सरकार धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझे, उतनी समितियां गठित कर सकती है।

ख. धारा 42 की उप-धारा (11) के अतर्गत बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

39. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल :- (1) अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का कार्यकाल, जैसा भी मामला हो, धारा 42 की उप-धारा(1) के अंतर्गत उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जो भी मामला हो, की तारीख से सामान्यत: उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जो भी मामला हो, की तारीख से सामान्यत: दो वर्ष का होगा:

बशर्ते कि ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) आकस्मिक स्थिति को भरने के लिए नामित बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य जिसके स्थान पर उनको नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) उप-नियम (1), (2), एवं (3) में शामिल किसी बात के बावजूद, बोर्ड के सदस्य केन्द्र सरकार की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे।

40. यात्रा भत्ता- बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य उनके द्वारा अपनी ड्यूटि के संबंध में की गई किसी भी यात्रा के लिए केन्द्र सरकार के समूह-क अधिकारी पर लागू दरों एवं शर्तों के अध्यधीन यात्रा एवं पड़ाव भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

41. अधिकारी एवं स्टाफ – केन्द्र सरकार बोर्ड के कामकाज के लिए जो इसे आवश्यक लगे, बोर्ड को कम से कम संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक का एक सचिव, अन्य अधिकारी एवं स्टाफ उपलब्ध करा सकती है।

42. बोर्ड के सदस्यों के पुनर्नामांकन हेतु पात्रता – एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा परंतु वह कुल दो कार्यकाल के लिए सदस्य रह सकता है।

43. बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र – (1) बोर्ड का सदस्य, अध्यक्ष के अतिरिक्त, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है तथा अध्यक्ष केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

(2) त्यागपत्र इसकी स्वीकृती की सूचना की तारीख के 30 दिन की समाप्ति जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होने की संभावना होती है, तो तत्काल अध्यक्ष इसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को देंगे तथा केन्द्र सरकार, तब, संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उपाय करेगी।

44. सदस्यता का समाप्त होना – यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

45. अयोग्यता – (1) एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रुप में नामित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा-

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित/पागल घोषित कर दिया जाता है; अथवा

(ii) यदि वह अनुन्युक्त दिवालिया है; अथवा

(iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पहले अथवा बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या अयोग्यता उप-नियम (1) के अंतर्गत हुई है या नहीं, तो इस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VII

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

46. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत भुगतान – जब संहिता के अंतर्गत कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसका ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाऐगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अंदर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

47. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत असंवितरित बकाया जमा करना.- (1) जहाँ इस संहिता के अंतर्गत किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नांमाकन नही करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छह माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पहले उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाऐगी।

(2) उप-नियम (1) में सदंर्भित राशि नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास बैंक अंतरण अथवा भारत में किसी अनुसूचित बैंक से उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय.) के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाऐगी।

48. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत असंवितरित देयों के निपटान का तरीका.- (1) नियम 47 के उप-नियम (1) में संदर्भित राशि (एतदुपरांत इस नियम में राशि के रूप में संदार्भित) संबधित क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) संबधित क्षेत्राधिकार के उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) जितनी, जल्दी संभव हो सके, राशि से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय.) प्रर्याप्त समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस पर्दशित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित वेतन अर्जित किए गया था, उसमें सामान्यत समझी जाने वाली भाषाओं में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में भी इस नोटिस को प्रकासित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, संबंधित क्षेत्राधिकार वाला उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नामिति अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, जैसा भी मामला हो, तथा जिसके पक्ष में उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात राशि भुगतान करने को निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

(4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष में लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्देशित ढंग से किया जाएगा।

अध्याय VIII

प्रपत्र, रजिस्टर एवं वेतन पर्ची

49. एकल आवेदन का प्रपत्र.- धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रपत्र-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में एकल आवेदन दायर किया जा सकता है।

50. अपील:- धारा 45 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रधिकारी द्वारा पारित आदेश से पीडित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र-III में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधीकारी को अपील कर सकता है।

51. रजिस्टर इत्यादि का प्रपत्र.- (1) धारा 19 की उप-धारा (8) में सदंर्भित सभी जुर्माने एवं उनकी वसूलियों का विवरण इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रोनिक ढंग में अथवा अन्यथा रूप में रखा जाएगा तथा उक्त उप-धारा (8) में सदंर्भित प्राधिकारी उस क्षेत्र के उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय.) होंगे।

(2) धारा 21 की उप-धारा (3) में संदर्भित सभी कटौतियों एवं वसुलियों का विवरण इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रोनिक ढंग से अथवा अन्यथा रखा जाएगा।

(3) किसी भी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर या संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उप-धारा (1) के अंतर्गत फार्म I तथा फार्म IV में इलैक्ट्रोनिक अथवा अन्य किसी रूप में रजिस्टर रखेगा।

52. वेतन पर्ची.- प्रत्येक नियोक्ता वेतन के भुगतान के समय अथवा उससे पहले धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतत्र V में अपने कर्मचरियों को इलैक्ट्रोनिक अथवा अन्यथा ढंग से वेतन पर्ची जारी करेगा।

53. धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जाँच कराने का तरीका-(1) जब धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष (एतदुपरांत इस नियम में अधिकारी के रूप में संदर्भित) उक्त उप-धारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीडित कर्मचारी अथवा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा किसी निरिक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात अधिकारी का मत है कि अपराध किया गया है, तो यह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तारीख का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी करता है।

(2) यदि अपराधी जिसे उप-नियम (1) के अंतर्गत समन जारी किया गया है, प्रस्तुत होता है अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उसके खिलाफ शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबंधो के अनुसार उस पर शास्ति लगाएगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरह लाए गए गवाहों से प्रश्न पूछने (जिरह) का अवसर उपलब्ध कराऐगा। यह अधिकारी गवाहों के शपथ पर बयान तथा जिरह को बचाव का अवसर देगा तथा उसके लिखित में रिकार्ड करेगा और दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लेगा।

(3) अधिकारी, शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, दोषी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर बयान लेने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा जिरह की जाऐगी तथा अधिकारी द्वारा बचाव में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लिया जाऐगा।

(4) अधिकारी पक्षकारों को सुनने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करके संहिता के उपबंधो के अनुसार शिकायत पर निर्णय लेगा।

54. धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जुर्माना लगाने का तरीका – (1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध का शमन चाहता है, तो वह उक्त उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्रपत्र VI में इलैक्ट्रोनिक ढंग से अथवा अन्यथा आवेदन पर कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अंतर्गत शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा दोषी व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है, संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध की सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश में निर्दिष्ट समय-सीमा में दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

(3) जहां अभियोजन चलाने के पश्चात उप-नियम (2) के अंतर्गत अपराध में सुलह की गई है, वहां, वह अधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश को प्रति धारा 56 की उप-धारा (6) के अतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु धारा 53 की उप-धारा (1) में संदर्भित अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय IX

विविध

55. वेतन का समय पर भुगतान – जहां कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं, वहां, वह कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठेकेदार को उसके, जैसा भी मामला हो, द्वारा देय राशि का भुगतान वेतन के भुगतान की तारीख से पहले करेगा ताकि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान धारा 17 के उपबंधों के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इसका अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

56. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तकनीकि समिति – केंद्र सरकार, श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनिमय, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों के लिए संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे निर्धारण के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने हेतु धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत एक तकनीकि सलाहकार समिति गठित कर सकती है।

57. न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व :- जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं तथा ठेकेदार धारा 26 के अंतर्गत उनको न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, वहां, कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परंतुक में यथा संदर्भित अन्य कोई व्यक्ति , कर्मचारियों अथवा किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों जिनके कर्मचारी सदस्य हैं, द्वारा ऐसी असफलता की लिखित सूचना दिए जाने पर तथा इसकी पुष्टि करने पर कर्मचारियों को इस न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

58. निरीक्षण योजना :- (1) संहिता एवं इन नियमों के प्रयोजनार्थ, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से एक निरीक्षण योजना बनायी जाऐगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित निरीक्षण योजना में, ढांचागत तथ्यों के अतिरिक्त, योजना में प्रत्येक निरीक्षक – सह-सुविधाप्रदाता तथा प्रतिष्ठान को एक संख्या विनिर्दिष्ट की जाऐगी।

[फा.सं.एस-32017/01/2019-डब्ल्यूसी]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

प्रपत्र-I

(नियम 19 तथा नियम 51 (1),(2) और(3) देखें**)**

वेतन, समयोपरी भत्ता, जुर्माना, नुकसान और क्षति के लिए कटौती संबंधी रजिटस्टर

प्रतिष्ठान का नाम: नियोक्ता का नाम ():

स्वामी का नाम: नियोक्ता पैन/टैन

श्रम पहचान संख्या (एलआईएम)

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम/विभाग	वेतन के भुगतान की अवधि (मासिक /पाक्षिक//साप्ताहिक//दैनिक/ /खंड में रेटेड)	वेतन की अवधि से – तक	अवधि के दौरान कार्य किए गए दिवसों की कुल संख्या	कुल ओवर टाइम (काम किए गए घंटे अथवा खंड कामगारों के मामले में उत्पादन)	वेतन की दरें		
							मूल वेतन	डीए	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ओबरटाइम से आय	कृत्यों एवं चूक की प्रकृति जिसके लिए जुर्माना लगाया गया का तारीख के साथ विवरण	लगाए गए जुर्माने की राशि	कर्मचारी की लापरवाही अथवा चूक से नियोक्ता को होने वाली क्षति अथवा नुकसान	वेतन से कटौती की राशि	भुगतान किए गए वेतन की कुल राशि	भुगतान की तारीख	उपस्थिति	
							तारीख	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रपत्र-II

[नियम 49 देखें]

[धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत एकट आवेदन]

वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा(1) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

…….. के लिस क्षेत्र……

आवेदन संख्या ……20------- का

क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और ---------- अन्य -------- आवेदक

(संबंधित कर्मचारियों अथवा पंजीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरीक्षक- सह- प्रोत्साहक के माध्यम से)

पता ----------

और

----------क्ष, त्र, ज्ञ

पता ----------

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

(1) आवेदक जिनका (जिनके)नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, ---------- में शामिल (कार्य की प्रकृति जो वेतन संहिता 2019 द्वारा कवर होती है/ हैं) श्री/ मैसर्स ---------- के ------ (प्रतिष्ठान) में ----- से ------तक ------- (श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था / है।

(2) प्रतिवादी वेतन संहिता, 2019 की धारा 2 (1) की विवक्षा के अंतर्गत नियोक्ता है/ हैं

(3) (क) आवेदक(आवेदकों) को -------- से ----------तक की अवधि के लिए ----- रूपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है।

(ख) आवेदक (कों) को ------- से ------- तक विश्राम के साप्ताहिक दिनों के लिए -------- रुपये प्रति दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक (कों) को ------- से -------- तक की अवधि के लिए समयोपरि दर (रों) पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक (कों) को --------- से ------- तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) आवेदक (कों) के वेतन (नों) से जो कटौती की गई है वह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौरा जिसका ब्यौरा इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष --------- के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक प्रत्येक राशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आकलित करता/करते हैं:

(क) ---------- रुपये

(ख) ---------- रुपये

(ग) ---------- रुपये

कुल --------- रुपये

(5) अत: आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि वेतन संहिता, 2019 की धारा 45(2) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अंतर्गत देय वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अंतर का भुगतान ।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान ।

(ग) समयोपरि दरों पर वेतन का भुगतान

(घ) ---------- रुपये का मुआवजा

(6) आवेदक एतदद्वारा यह घोषणा करता है /करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी , विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक .....

नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) अथवा किसी पंजृत ट्रेड यूनियन द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक-सह-प्रोत्साहक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान.

टिप्पणी: आवेदक, यदि आवश्यक हो तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित अनुबंध संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

प्रपत्र **III**

(नियम 50 देखें)

वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत अपील प्राधिकारी के समक्ष वेतन संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अंतर्गत अपील

क ख ग

पता

.....अपीलकर्ता

बनाम

ग घ ङ

पता .....प्रतिवादी

अपील का ब्यौरा:

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गई है:-

संख्या और तारीख :

प्राधिकारी जिसने प्रश्नगत आदेश जारी किया है

प्रदान की गई राशि :

प्रदान किया गया मुआवजा, यदि कोई हो :

2. मामले के तथ्य :

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक अनुच्छेद में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए).

3. अपील के आधार :

4. वैसे मामले जिन्हें पहले दर्ज नहीं किया गया अथवा जो किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपील प्राधिकारी के पास लंबित ना हो।

अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा सूट किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या सूट उनमें से किसी के पास लंबित है।

5. मांगी गई राहत

उपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता है :-

[नीचे मांगी गई राहत (तो) का उल्लेख करें

6. अनुल्ग्नों की सूची:

1.

2.

3.

4.

……..

तारीख:

स्थान :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

दायर करने की तारीख

अथवा

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

पंजीकरण संख्या .

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र IV

[नियम 51(3) देखें]

कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम : नियोक्ता का नाम:

स्वामी का नाम : नियोक्ता का पैन/टैन:

श्रम पहचान संख्या (एलआईएन):

क्रम संख्या	कर्मचारी कोड	नाम	उप-नाम	लिंग	पिता/ पति /पत्नी का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शैक्षणिक स्तर	कार्यग्रहण की तारीख	पदनाम	श्रेणी (एचएस/एस एसयूएस)*	रोजगार का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल संख्या	यूएएन	पैन	ईएसआईसी आईपी संख्या	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक	शाखा(आईएफएससी)	वर्तमान पता	स्थायी पता
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सेवा पुस्तिका संख्या .	छोडने की तारीख	छोडने का कारण	पहचान चिन्ह	फोटो	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	अभयुक्तियां
24	25	26	27	28	29	30

*(अति कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल)

प्रपत्र V

[नियम 52 देखें]

वेतन पर्ची

जारी करने की तारीख:

प्रतिष्ठान का नाम…… पता ……..…….. अवधि……..

1. कर्मचारी का नाम :
2. पिता / पति/पत्नी का नाम:
3. पदनाम :
4. यूएएन:
5. बैंक खाता सं.:
6. वेतन अवधि:
7. देय वेतन के दर: क.) मूल ख.) महंगाई भत्ता ग.) अन्य भत्ते

8. कुल उपस्थिति /किए गए कार्य की मात्रा:

9. समयोपरि वेतन:

10. देय सकल वेतन :

11. कुल कटौती: क.) भविष्य निधि ख.). ईएसआई ग.) अन्य

12. भुगतान किया गया कुल वेतन:

नियोक्ता / वेतन प्रभारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र VI

[नियम 54 देखें]

अपराध के कृत्य के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. पिता / पति-पत्नी का नाम :
3. आवेदक का पता :
4. अपराध के विवरण .....
   .....
   .....
   .....
5. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है
   :.....
6. इस संहिता के तहत अपराध के लिए प्रदान किया गया अधिकतम जुर्माना
   :.....
7. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं
   .....
8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो, पहले अपराध का पूर्ण विवरण दे।
   .....
   .....
   .....
9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो
   .....
   .....
   .....

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक:

अनुसूची क

[नियम 21, 22, 26 और27 देखें]

इस अनुसूची में सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल राशि 1,04,167 मानी गई है। तदनुसार अधिकतम बोनस जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के पात्र (सभी कर्मचारियों के वाष्कि वेतन अथवा मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की राशि 2,50,000 रूपये होगी।

वर्ष	बोनस के रूप में आबंटित किए जाने योग्य उपलब्ध अतिरिक्त राशि के 60 प्रतिशत या 67 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, के बराबर राशि	बोनस के रूप में देय राशि	वर्ष का अग्रेणीत सैट-ऑन अथवा सैट ऑफ	कुल अग्रेणीत सैट –ऑन अथवा सैट ऑफ	
1	2	3	4	5	6
	रुपये	*रुपये*	*रुपये*	*रुपये*	*वर्ष (का)*
1.	1,04,167	1,04,167**	शून्य	शून्य	
2.	6,35,000	2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 30,000 को शामिल करते हुए)	शून्य	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	सैट ऑन 1,25,000	सैट ऑन 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 1,10,000 को शामिल करते हुए))	शून्य	सैट ऑन 1,10,000 1,25,000	(2) (4)
6.	3,10,000	2,50,000*	सैट ऑन 60,000	सैट ऑन शून्य + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (वर्ष 4 से 1-25000 तथा वर्ष 6 से 25000 को शामिल करते हुए)	शून्य	Set on 35,000	(6)
8.	शून्य (नुकसान के कारण)	1,04,167**(वर्ष 6 से 35000 को शामिल करते हुए)	सैट ऑफ 69,167	सैट ऑफ 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	सैट ऑफ 94,167	सैट ऑफ 69,167 94,167	(8) (9)

10.	2,15,000	1,04,167** (वर्ष 8 से 69,167 तथा वर्ष 9 से 41,666 के सैट-ऑफ के बाद)	शून्य	सैट ऑफ 52,501	(9)

टिप्पणी:-

* अधिकतम.

+ वर्ष 2 के व्यपगत से 1,10,000 रुपये के सैट ऑन से से अंत शेष

** न्यूनतम

अनुसूची ख
सकल लाभ की संगणना

[नियम 23 देखें]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद सं.	विवरण	उप मदों की राशि	मुख्य मदों की राशि	अभ्युक्तियां
		राशि	राशि	
*1.	प्रायिक तथा आवश्यक उपबंध करने के पश्चात् लाभ-हानि लेखा में यथा प्रदर्शित निवल लाभ।			
2.	निम्नलिखित के लिए उपबंधित राशि पीछे जोड दे: (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवमूल्यन (ग) विकास रिबेट आरक्षिति (घ) कोई अन्य आरक्षिति मद संख्या 2 का योग	 राशि		 पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें
3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दें: (क) कर्मचारियों को पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त बोनस (ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के योग के आधिक्य में संदत्त या संदेय उपदान के लिए विकलित राशि, अर्थात्:- (i) किसी अनुमोदित उपदान निधि के लिए संदत्त किए जाने के लिए उपबंधित राशि, यदि कोई है, और (ii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या किसी कारणवश उनका नियोजन समाप्त कर दि जाने पर उन्हें संदत्त वास्तविक राशि।			पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1)

	(ग) आय कर के लिए अनज्ञेय राशि के आधिक्य में संदाय (घ) (वैज्ञानिक अन्वेषण पर उस पूंजीगत व्यय से भिन्न जिसकी जिसकी कटौती प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी वत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञात है) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न हैं, जिन पर आय कर हेतु अवमूल्यन अनुज्ञात किया गया है। (ड.) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 34क की उप-धारा 92) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित कोई राशि। (च) भारत के बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां या तत्संबंधी व्यय। मद संख्या 3 का व्यय	राशि.....		देखें
4.	निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अधिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो प्रकाशित अथवा प्रकटित आरक्षिति खाते में सीधे जमा किए गए हैं – (i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर के लिए अवमूल्यन को अनुज्ञात नहीं किया गया है) (ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारोबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां (iii) भारत के बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय मद संख्या 4 का व्यय	राशि.....		
5.	मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का सकल योग	राशि.....		
6.	निम्नलिखित की कटौती करें:- (क) पूंजीगत प्राप्तियों और लाभ (जो उन आस्त्यों के विक्रय से हुए लाभों में भिन्न हैं, जिनपर अवमूल्यन, आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है।) (ख) भारत से बाहर स्थित किसी			पाद टिप्पण (2) देखें

	व्यवसाय के लाभ तथा तत्संबंधी प्राप्तियां			पाद टिप्पण (2) देखें
	(ग) भारत से बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय			पाद टिप्पण (2) देखें
	(घ) निम्नलिखित से भिन्न वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षिति में से प्रत्यव्रत: विकसित की गई हैं:-			
	(i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो उन पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर अवमूल्यन, आय-कर के लिए अनज्ञात नहीं किया गया है)			
	(ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां			
	(ड.) विदेशी बैंकारी कंपनियों के मामले में, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आना चाहिए।			पाद टिप्पण (3) देखें
	(च) पूर्व लेखा वर्षों के लिए संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर के किसी आधिक्य का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्षों के लेखे बोनस, अवक्षयण या विकास रिबेट संबंधी कोई उपबंधित अधिमान रकम यदि वह लेखा में पुन: प्रविष्ट की गई है।			पाद टिप्पण (2) देखें
	(छ) बजट संबंधी अनुदनों के माध्यम से किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा समाप्ति किसी निगमित निकाय द्वारा या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संदत्त नकद साहयिकी, यदि कोई हि।			पाद टिप्पण (2) देखें
	मद संख्या 6 का योग ----------	राशि		
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद सख्यंक 5(-)ऋण मद संख्या 6)		राशि	

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (ख) में, "अनुमोदित उपदान निधि" पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

* जहां लाभ को कराधान के अध्यधीन लाभ और हानि खाते में रखा गया है और आय पर करों के लिए प्रावधान को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक प्रावधान को लाभ से काट लिया जाएगा।

पाद – टिप्पण

(1) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) उस अनुपात में जो [भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।]

अनुसूची ग

सकल लाभ की संगणना

[नियम 24 देखें]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद सं.	विवरण	उप मदों की रूपये	मुख्य मदों की रूपये	अभ्युक्तियां
		रूपये	रूपये	
1.	लाभ एवं हानि खाते के अनुसार निवल लाभ			
2.	निम्नलिखित के लिए वापस शामिल करने का प्रावधान करें : (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवमूल्यन (ग) पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के लिए प्रावधान सहित (यदि कोई हो) प्रत्यक्ष कर (घ) विकास रिबेट /निवेश भत्ता / विकास भत्ता आरक्षिति (ड.) अन्य कोई आरक्षिति मद संख्या 2 का कुल ------	रूपये-----		पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें
3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दें: (क) पूर्व लेखा वर्षों की बाबत कर्मचारियों को संदत्त बोनस (कक)कर्मचारियों को निम्नलिखित के योग के अधिक संदत्त या संदेय उपदान के संबंध में उनके नामे डाली गई राशि- (i) अनुमोदित उपदान निधि में जमा की गई या उसमें संदाय के लिए उपबंधित राशि, यदि कोई हो, और			पाद टिप्पण (1) देखें

	(ii)कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी कारण से उनके नियोजन की समाप्ति पर वास्तव में संदत्त। (ख) आय-कर के लिए अनुज्ञेय राशि के आधिक्य में चंदा/दान (ग) लेखा वर्ष के दौरान आय-कर अधिनियम की धारा 280घ के उपबंधों के अधीन कोई देय वार्षिकी या दी गई किसी वार्षिकी की संराशीकृत राशि (घ) पूंजीगत व्यय (वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय जो प्रत्यक्ष करों के संबंध में उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञेय है, को छोड़कर) और पूंजीगत हानि (पूंजीगत परिसंपत्तियों के विक्रय, जिन पर आय-कर अथवा कृषिगत आय-कर के लिए मूल्य ह्रास की अनुमति है, को छोड़कर।) (ड.) भारत के बाहर स्थित किसी व्यापार के संबंध में हानि अथवा व्यय मद संख्या 3 का योग्य----	रूपये.....		पाद टिप्पण (1) देखें
4.	निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अधिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो आरक्षिति खाते में सीधे जमा किए गए हैं – (i)पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत परिसम्पतियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर अथवा कृषिगत आय-कर के लिए अवमूल्यन अनुमेय नहीं है) (ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारोबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां			

	(iii) भारत के बाहर निवेश से संबंधित विदेशी कंपनियों की आय मद संख्या 4 का कुल योग्य	 रूपये--		
5.	मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का योग्य	रूपये.....		
6.	निम्नलिखित की कटौती करें:-			
	(क) पूंजीगत प्राप्तियों और लाभ (जो उन परिसम्पतियों के विक्रय से हुए लाभों से भिन्न हैं, जिनपर अवक्षयण, आय-कर या कृषि आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है)			पाद टिप्पण (2) देखें
	(ख) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय से संबंधित लाभ और प्राप्तियां			
	(ग) भारत से बाहर के निवेश से विदेशी संस्थानों की आय।			पाद टिप्पण (2) देखें
	(घ) आरक्षिति में प्रत्यक्षत: नामे डाले गए वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो निम्न से भिन्न हैं -			पाद टिप्पण (2) देखें
	(i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजी हानियां (जो उन पूंजी परिसम्पतियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर अवक्षयण, आय-कर अथवा कृषि आयकर के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है)			
	(ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां			
	(ड.) विदेशी संस्थानों की दशा में प्रधान			

	कार्यालय के आनुपाती प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आना चाहिए।			
	(च) पूर्व लेखा वर्षों के संदर्भ संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्षों में बोनस, अवक्षयण, कराधान या विकास रिबेट या विकास भत्ता संबंधी यदि कोई अधिमात्रिकरूपयेउपबंधित की गई है तो वह रूपयेलेखा में पुन: प्रवृष्टि की गई हो।			पाद टिप्पण (3) देखें
	(छ) नकद सहायिकी, यदि कोई हो, जिसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार ने या द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगमित निकाय ने या किसी अन्य अभिकरण के बजट अनुदान के माध्यम से दी है, चाहे वह सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से दी गई हो और उसके आगम ऐसे प्रयोजनों के लिए अरक्षित हो।			पाद टिप्पण (2) देखें
	मद संख्या 6 का योग	रूपये.....		
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद सख्यंक 5 में से मद संख्या 6 घटाकर जो आए)		रूपये.....	

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (कक) में, "अनुमोदित उपदान निधि" पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

पद – टिप्पण

(1) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(2) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।

(3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।

अनुसूची घ

[नियम 25 देखें]

मद संख्या	नियोजक की श्रेणी	अतिरिक्त राशियां जिनकी कटौती की जानी है
(1)	(2)	(3)
1.	बैंकिंग कंपनी से भिन्न कंपनी	(i) उसके अधिमान प्राप्त शेयर पूंजी के संबंध में लेखा वर्ष के लिए संदेय लभांश जो ऐसी वास्तविक दर पर संशोधित हो, जिस पर ऐसे लभांश संदेय है; (ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी समादत्त साम्य शेयर पूंजी का 8.5 प्रतिशत;

		(iii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके तुलन पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का 6 प्रतिशत जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ शामिल है; परन्तु जहां नियोजक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मंद के अधीन कुल रूपये जिसकी कटौती की जानी है, वे उस संकलित मूल्य पर 8.5 प्रतिशत होंगी, जो भारत में उस कंपनी की शुद्ध निर्धारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में उसके चालू देयताओं की रूपये की (जो उस किसी रूपये से भिन्न है, जो चाहे तो उसके प्रधान कार्यालय द्वारा दिए गए किसी आदिदाय राशियां अन्यथा या कंपनी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय को दिए किसी ब्याज की रूपये कंपनी द्वारा प्रधान कार्यालय को देय दर्शाई गई है) कटौती करने के पश्चात है।
2.	बैंकिंग कंपनी	(i) उसकी अधिमान प्राप्त अंशपूंजी की बचत लेखा वर्ष के लिए संदेय लाभांश के ऐसी दर पर संबंधित है, जिस पर ये लाभांश संदेय है। (ii) लेखा वर्ष के आरंभ पर यथाविद्यमान उसकी प्रदत्त इक्यूटी शेयर पूंजी का 7.5 प्रतिशत; (iii) उसके तुलना पत्र में लेखा वर्ष के प्रारंभ पर यथादर्शित उसकी आरक्षित (रिजर्व) का 5 प्रतिशत, जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ भी शामिल है। (iv) लेखा वर्ष की बाबत कोई राशि, जो उसके द्वारा – (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी आरक्षिती निधि को अंतरित की गई है; अथवा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या सूचना के अनुसार भारत में किन्हीं आरक्षितियों को अंतरित की गई है, उक्त दोनों में से जो भी अधिक हैं: परन्तु जहां बैंकिंग कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्ध में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कटौती की जाने वाली रकम निम्नलिखित का योग होगी- (i) उसके अधिमान प्राप्त अंशधारियों को लेखा वर्ष के लिए ऐसी रकम पर जिसका उसकी कुल अधिमान प्राप्त अंश पूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसके कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है, उसकी दर से संदेय लाभांश जिस पर ऐसे लाभांश संदेय हैं; (ii) इस रूपये का 7.5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल समादत्त साधारण अंशपूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसकी कुल कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है; (iii) उस रकम का 5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल प्रकटित आरक्षितियों से वही अनुपात हैं जो भारत में उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है; (iv) कोई रूपये जो लेखा वर्ष के संबंध में उसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii)के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाती है और जो पूर्वोक्त उपबंध के अधीन इस प्रकार जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से अधक नहीं हैं।

3.	निगम	(i) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी समादत्त पूंजी का 8.5 प्रतिशत; (ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके कुल तुलन-पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का, यदि कोई हों, 6 प्रतिशत जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेनीत कोई लाभ भी है।
4.	सहकारी सोसायटी	(i) लेखा सोसायटी द्वारा अपने स्थापन में निहित उस पूंजी का 8.5 प्रतिशत, जो लेखा वर्ष प्रारंभ पर उसकी लेखा-बहियों से साक्ष्यित है; (ii) ऐसे रूपये जो लेखा वर्ष के संबंध में सहकारी सोसायटियों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरक्षित निधि में अग्रेनीत की गई हो।
5.	कोई अन्य नियोजक जो पूर्वोक्त श्रेणियों में से किसी में नहीं आता	उसके द्वारा अपने प्रतिष्ठान में निवेश की गई पूंजी का 8.5 प्रतिशत जो लेखा वर्ष के प्रारंभ पर उसकी लेखा वहियों से यथा साक्ष्यित है: परन्तु जहां ऐसा नियोजक वह व्यक्ति है जिसपर आय-कर अधिनियम का अध्याय 22क लागू होता है, वहां उस अध्याय के उपबंधों के अधीन लेखा वर्ष के दौरान संदेय वार्षिक जमा राशि की भी कटौती की जाएगी: परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक कोई फर्म हैं, वहां उस लेखा वर्ष के संबंध में उस प्रतिष्ठान से धारा 6 के खण्ड (क) क उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती के उपरांत उसे व्युप्पन्न सकल लाभों के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की भी कटौती उस प्रतिष्ठान के संचालन में भाग लेने वाले सब भागीदारों के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी किन्तु जहां भागीदारी करार चाहे वह मौखिक या लिखित हो, ऐसे किसी भागीदार को पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबंध कराता है, तथा- (i) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से कम है, वहां ऐसी राशि अड़तालीस हजार रुपये से अधिक न हो, जो ऐसे हरेक भागीदार को संदेय है, अथवा (ii) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अधिक है वहां उतने प्रतिशत रूपये या ऐसे हर एक भागीदार को अडतालीस हजार रुपये की दर से परिकलित रूपये में से, जो भी कम हो, उस रूपये की, परन्तुक के अधीन कटौती की जाएगी:अथवा परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है, वहां- (i) लेखा-वर्ष के संबंध में उस प्रतिष्ठान से ऐसे नियोजक को धारा-6 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती करने के बाद व्युतपन्न सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की; अथवा (ii) अडतालीस हजार रुपये की, उक्त दोनों में से जो भी कम हो, कटौती ऐसे नियोजक के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी।

स्पष्टीकरण: मद 3 की मद संख्या 1(iii), 2(iii) और 3(ii) में दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अंतर्गत कोई ऐसी राशि शामिल नहीं हैं जो-

(i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर के संदाय के, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा;

(ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;

(iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनमें निम्नलि खित शामिल हैं-

(क) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में निर्दिष्ट रूपये से अतिरिक्त ऐसी राशि जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई हैं, और

(ख) कोई ऐसी राशि, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार इस राशि से अधिक राशि, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है ।

अनुसूची ङ

[नियम 4(3) देखें]

क्रम सं.	**अकुशल**
1	बेलदार
2	ग्वाला
3	चरवाहा
4	क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, पशु-अहाता, एम.टी.)
5	चारा इकट्ठा करना
6	डेयरी कुली
7	मजदूर (बागबान, डेयरी में फूस के ढ़ेर लगाना, सिंचाई, गोबर के ढ़ेर लगाना, दूध दोहने का कक्ष, राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया-रोधी, एम.आर.)
8	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गधा)
9	ड्रेसर
10	चालक (बैल, खच्चर)
11	गड़ेरिया
12	डेयरी कामगार
13	(स्टोर मजदूर)
14	वाहक (पत्थर)
15	तोड़ना (दस्ती औजारों के इस्तेमाल से)
16	हैल्पर
17	संदेशवाहक (कार्यालय)
18	माली
19	सईस
20	फूस बाँधना और ले जाना
21	स्वीपर
22	गट्ठर तोलना और ले जाना,
23	तुलाईकार (गट्ठर, पल्ली)
24	पानी वाला,
25	सईस
26	ट्रॉली मैन

27	वाल्व कर्मी
28	पहरेदार,
29	सफेदी करने वाला,
30	लकड़हारा,
31	लकड़हारा (स्त्री)
32	बोरीमैन,
33	कोयला कर्मी
34	कंडेनसर,
35	परिचारक,
36	घासकाटने वाला,
37	मुच्छड़ जमादार,
38	कंडेनसर परिचारक,
39	शन्टर्स
40	टरनर,
41	बजरी फैलानेवाला,
42	कूटने वाली महिला,
43	बेल-महिला
44	चेन कर्मी,
45	बोट मैन,
46	बकेट मैन,
47	श्रमिक (बॉयलर, पशु-अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना-उतारना, बंडिंग, कार्टिंग-फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग, विविध बीज-अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्यारोपण, खरपतवार की छँटाई)
48	क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख के गड्ढें के लिए सुलगता कोयला),
49	कार्टमैन,
50	रखवाल (पुल),
51	वाहक (जल),
52	चौकीदार
53	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
54	दफादार,
55	चालक (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर),
56	फ्लैग मैन,
57	फ्लैगमैन (ब्लास्ट ट्रैन),
58	मशीनों पर काम न करने वाला खलासी
59	गैंगमैन,
60	गेटिंगमैन (स्थायी मार्ग),
61	हैंडर मैन, जम्पर मैन,
62	कमीन (महिला कामगार),
63	खलास,
64	पुल
65	इलेक्ट्रिकल,
66	मैरिन,
67	मोपलाह,
68	स्टोर,
69	स्टीम रोड,
70	शेयर,
71	रॉलर सर्वेक्षण,
72	श्रमिक (बगीचा),

73	मजदूर,
74	छिद्र काटनेवाला,
75	लॉरी प्रशिक्षु,
76	पेट्रोलमैन,
77	सर्चर,
78	सिग्नल मैन,
79	स्ट्राइकर,
80	वैक्स नियंत्रक,
81	क्लीनर
82	ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर
83	लोडर
84	मजदूर (पुरुष/महिला)
85	संदेशवाहक (पुरुष/महिला)
86	ट्रेमर
87	रखवाल (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहाँ यह अर्धकुशल है)
88	कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा
89	स्वीपर (पुरुष/महिला)
90	संवाहक
91	नंबर टेकर
92	ट्रॉली ट्राइपर
93	वाटर कैरियर
94	मृदा कटर
95	सर्वेक्षण खलासी
96	गेट मैन,
97	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
98	विखण्डन भंडार
99	लैम्पमैन
100	बेलदार/बेलदार (कैंटीन)
101	कुली
102	चपरासी
103	रसोइये का सहायक
104	ऑफिस बॉय
105	खदान कामगार
106	जैली बनाने वाला
107	अधि भारित अपसारक
108	अपशिष्ट अपसारक मजदूर
109	उतारने वाला
110	उत्खनन श्रमिक
111	खोदने वाला
112	कसाई
113	परिचारक
114	लॉरी सहायक
115	सतही लोडर
116	लकड़हारा
117	सतही मुकर
118	भूमिगत मुकर
119	स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग),

120	टॉल बॉय,
121	टाइल
122	लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति
123	किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अकुशल प्रकृति के स्वींपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गो में नियोजित व्यक्ति।

क्रम सं.	**अर्धकुशल**
1	सहायक (चौकीदार)
2	परिचारक (बुल-काल्विंग लाइन्स, चौकीदार, चाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक, पम्प, सीकलाइन,
3	अस्तबल, अहाता स्टॉक)
4	सहायक-नलसाज़
5	परिचारक
6	भिस्ति
7	ब्रान्डर
8	बुलमैन
9	बटरमैन
10	कोचमैन
11	मोची
12	खेतिहर
13	दफ्तरी
14	डिलीवरीमैन
15	धोबी
16	ड्रेसर
17	फायरमैन
18	ग्वाला
19	हैमरमैन
20	हैल्पर (लुहार)
21	हैल्पर
22	जमादार (स्टैण्ड)
23	जमादार
24	खलासी
25	माली वरिष्ठ
26	मैट/मिस्त्री
27	मज़दूर (शिक्षित)
28	नलबन्द
29	ऑयलमैन
30	हलवाला
31	वीटेकर्स
32	पर्यवेक्षक
33	छप्पर
34	वाल्वमैन
35	वाल्वमैन (वरिष्ठ)
36	टिन केबलें लगाने वाला वायरमैन
37	रसोइया
38	डेन्डी
39	फ्राश

40	आरी कामगार
41	हैल्पर (लॉको-क्रेन/ट्रक)
42	मांझी (बोटमैन)
43	बेल्चावाला
44	मुक्काडेम (धात्विक बुलडोज़र चालक खान विनियम, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)
45	भिस्ति (मुश्क के साथ)
46	बोटमैन (मुखिया)
47	ब्रेकर,
48	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, पहाड़ी पत्थर, पत्थर धातु)
49	कैनवीवर
50	चेनमैन (मुखिया)
51	चारपाई बुनकर
52	चेकर
53	क्रैकर
54	डॉलीमैन
55	सहायक
56	ड्रिलर
57	सुचालक (त्वचा)
58	उत्खनक
59	फेरोमैन
60	फायरमैन (ईंट भट्टा, वाष्प रोड रोलर)
61	द्वारपाल
62	घरामी
63	क्लासमैन
64	ग्रेटर
65	ग्रीजर-सह-फायरमैन
66	ग्राइन्डर
67	हैमरमैन
68	हैल्पर (कारीगर)
69	हैल्पर (आराकस)
70	कीमैन
71	खलासी (मुख्य पर्यवेक्षक, रिवटर्स-मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी)
72	श्रमिक (पत्थर-काटना)
73	लास्कर
74	माली (मुखिया)
75	स्टॉकर्स और बॉयलरमैन
76	थूमबामैन (फावड़ा कामगार)
77	टिनडेल्स
78	ट्रॉलीमैन (हैड मोटर)
79	फिटर (सहायक अर्ध-कुशल)
80	जमादार (अर्ध-कुशल)
81	मेट (पत्थर)
82	कसाब
83	खलासी (संरचनात्मक)
84	मसालची पी.एम. मेट्स
85	खनिक
86	अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/ धात्विक बुलडोज़र चालक खान विनियम, 1961 के अंतर्गत सक्षमता

	प्रमाण-पत्र के बिना मेट
87	बटलर/रसोइया
88	ब्रेकर (मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल से)
89	शिशु-सदन आया/आया/अप्रशिक्षित शिशु-सदन परिचारक
90	सहायक ड्रिलर
91	ऑयलमैन/ऑयलर
92	चौकीदार/वॉचमैन
93	हैल्पर (राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार)
94	टिन्डेल्स
95	टोपाज़
96	टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
97	ट्रॉली जमादार
98	विंचमैन
99	उपस्थिति-रखवाल
100	सहायक वायरमैन
101	मेट
102	मेट (लुहार, सड़क, बढ़ई)
103	इंजिन ड्राइवर और/या फीडर
104	फिटर
105	गैंग
106	मजदूर राजमिस्त्री
107	स्थायी मार्ग
108	पम्प-चालक, टरनर)
109	मजदूर (हैवी-वेट)
110	चार्ज-मैन
111	मिस्त्री (मुखिया
112	मुकाडम
113	रात्रि-गार्ड
114	रनर (पोस्ट डाक)
115	ऑयलमैन
116	खदान कर्मी
117	खदान परिचारक
118	स्टॉनमैन
119	स्टॉकर
120	थैचर
121	पम्प परिचारक
122	बियरर
123	ब्रेकमैन
124	क्राउल्डरमैन
125	प्रयोगशाला सहायक
126	पॉइन्टसमैन सेनकम्मी
127	पत्थर खान तथा अर्ध-कुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली श्रेणियाँ

क्रम सं.	**कुशल**
1	शिल्पकार (श्रेणी-II, III, IV)
2	लुहार

3	लुहार (श्रेणी II)
4	बॉयलरमैन
5	बढ़ई
6	बढ़ई (श्रेणी II) बढ़ई-सह-लुहार
7	चौकीदार
8	चालक
9	चालक (इंजिन ट्रैक्टर, एम.टी. मोटर)
10	इलेक्ट्रीशियन
11	फिटर
12	राजमिस्त्री
13	राजमिस्त्री श्रेणी II
14	मशीन हैण्ड (श्रेणी-II, III, IV)
15	मशीनरमैन
16	मेट ग्रेड I (वरिष्ठ)
17	मैकेनिक
18	मिल्क राइटर
19	मिस्त्री (मुखिया)
20	मॉउल्डर
21	मस्टर राइटर
22	प्रचालक (ट्यूबवेल)
23	पेन्टर
24	नलसाज़
25	वेल्डर
26	पोशिशसाज़
27	वायरमैन,
28	चिपर
29	चिपर-सह-ग्राइन्डर
30	रसोइया (मुखिया)
31	ड्रिलर
32	ड्रिलर (कुआँ खोदना)
33	चालक (लोको/ट्रक)
34	इलेक्ट्रीशियन (सहायक)
35	मैकेनिक (ट्यूब-वेल)
36	मिस्त्री (स्टेल, ट्यूबवेल, टेलीफोन)
37	मीटर रीडर
38	मौसम अवलोकनकर्ता नवघानी
39	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेशर, ग्रेन, डोरिक, डीज़ल इंजिन, डोज़र, ड्रेगलिंग ड्रिल डम्बर, उत्खनक, फॉर्क लिफ्ट जेनेरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर एवं पेयमेन्ट ब्रेकर लोडर, पम्प, पाइल ड्राइविंग, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रेक्टर, वाइब्रेटर, वेट बेचर, रेलवे गार्ड, मरम्मत (बैटरी))
40	शार्पर/स्लोटर
41	स्प्रेयर (अशाल्ट) स्टेशन मास्टर
42	पर्यवेक्षक (सिल्ट)
43	ट्रेड्स-मैन
44	ट्रेन जाँचकर्ता

45	टरनर/मिलर
46	टायरवल्केनाइजर
47	आराकस
48	आराकस (चयन ग्रेड श्रेणी II) सेरंग
49	सेरंगपाइल
50	बॉयलर सहित ड्राइविंग पेनटूम्स
51	शैप्समैन
52	पाली-प्रभारी
53	स्प्रेयरमैन
54	स्प्रेयरमैन (सड़क)
55	पत्थर काटनेवाला
56	पत्थर काटनेवाला (चयन ग्रेड ग्रेड II श्रेणी II)
57	स्टॉन चिस्लर
58	स्टॉन चिस्लर (श्रेणी II)
59	स्टॉन ब्लास्टरर
60	उप-पर्यवेक्षक (निर्रहक)
61	पर्यवेक्षक
62	पम्प चालक
63	पम्प चालक (चयन ग्रेड), ग्रेड II और III, श्रेणी II)
64	पम्प चालक (चयन ग्रेड, पी.ई., चालक,
65	पम्पमैन
66	पम्पमैन (सहायक)
67	नलसाज़
68	पोलीशर (स्प्रे के साथ) ग्रेड II
69	रतन मैन
70	रिविट कटर (सहायक)
71	रिविटर
72	रिविटर (कटर)
73	सड़क निरीक्षक ग्रेड II, रेलवे प्लेट लेयर
74	रोड बेन्डर
75	हॉलेज प्रचालक
76	औषधालय परिचारक
77	वर्क सकर
78	अभ्रक कटर ग्रेड-I
79	ड्रेसर ग्रेड-I अभ्रक
80	पर्यवेक्षी फायरमैन
81	खानों में केवल फायरमैन
82	कम्प्रेशर चालक
83	पम्प मैन चालक 96, अभ्रक खानों में ग्राइन्डर
84	पर्यवेक्षक (सहायक)
85	दर्जी
86	दर्जी (तोशक)
87	ट्रांस्प्रेयर
88	टार मैन
89	लाइन मैन

90	टाइलर श्रेणी-II
91	दीवार (फर्श, छत)
92	टाइलर (चयन ग्रेड)
93	टिन-स्मिथ
94	टिन स्मिथ (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी II)
95	वैल सिन्कर
96	सहायक मिस्त्री
97	आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड-II और III
98	भण्डारी
99	लुहार
100	लुहार (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III श्रेणी II और III)
101	बॉयलरमैन
102	बॉयलरमैन ग्रेड II और III
103	फोरमैन ग्रेड II
104	कार्य (सहायक)
105	ब्रिकलेयर
106	ब्रिकलेयर (चयन ग्रेड II)
107	ब्लास्टर
108	चौकीदार (मुख्य)
109	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
110	बढ़ई
111	बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी I और III सहायक)
112	बी.आई.एम.मार्ग
113	केबिनेट बनाने वाला
114	केनमैन
115	सेलोटेक्स
116	कटर मेकर चार्गमेन, (द्वितीय श्रेणी और श्रेणी III, बढ़ई साधारण)
117	चेकदर (कनिष्ठ)
118	चिक निर्माता
119	चिक मैन (कनिष्ठ) कंक्रीट मिक्सजयोर मिक्क्षर
120	क्रंक्रीट मिक्सचर प्रचालक
121	मोची
122	कोरमेकर
123	चालक
124	चालक मोटर वाहन
125	मोटर वाहन चयन ग्रेड
126	मोटर लोरी
127	मोटर लोरी ग्रेड II
128	लोरी ग्रेड II
129	डीजल इंजन
130	डीजल इंजन ग्रेड II
131	मैकेनिकल रोड रोलर आईसी. और सीमेंट मिक्सर आदि.

132	रोड रोलर
133	रोड रोलर ड्राइवर
134	चालक इंजन स्टेटिक स्टोन क्रेशर), ट्रैक्टर बुल डोजर /, स्टीम रोड रोलर, वाटर पंप, मैकेनिकल सहायक, रोड रोलर, मैकेनिकल, स्टीम क्रेन, बुल डॉजर मैकेनिकल, सहित ट्रेक्टर, परिवहन, इंजन स्टेटिक और रोड रोलर बॉयलर परिचर
135	इंजन परिचालक(स्टोन कर्शर मैकेनिकल)
136	डिस्टेम्प्रर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड II, श्रेणी II और श्रेणी III)
137	फिटर
138	फिटर चयन ग्रेड, ग्रेड II और III) श्रेणी II और III सहायक, पाइप श्रेणी II, पाइप लाइन बंद करने वाले लट्ठे
139	सुदृढीकरण सह-मैकेनिक, मैकेनिक और प्लम्बर)
140	घरामी (प्रमुख)
141	घलेजियर (शीशा जडने वाला)
142	ब्लास्टिंग के लिए होल ड्रिलर
143	जोइनर
144	जोइनर (केबल, केबल ग्रेड II)
145	लाइनमैन (ग्रेड II, III, उच्च तनाव / निम्न तनाव)
146	राजमिस्त्री
147	राज मिस्त्री (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III और कक्षा बी मिस्त्री)
148	स्टोन (स्टोन क्लास II, ईंट वर्क, स्टोन वर्क)
149	ईंट-परत
150	टाइल बिछाना
151	बी.आई.एम. मुक्कदम (प्रमुख)
152	पत्थर काटना
153	साधारण मैकेनिक
154	मैकेनिक
155	मैकेनिक (श्रेणी II, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II)
156	डीजल ग्रेड II
157	रोड रोलर ग्रेड II
158	सहायक (रेडियो)
159	राज मिस्त्री(घरामी)
160	मिस्त्री
161	मिस्त्री ग्रेड II, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II, पी वे, सर्वे, संतरा कार्य)
162	राज मिस्त्री श्रेणी क
163	माउल्डर
164	माउल्डर (ईंट, टाइल)
165	पेंटर

166	पेंटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III, श्रेणी II, सहायक लोटर और पालिशगर, पालिशगर, रफ)
167	लेपक
168	लेपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)
169	पलम्बर
170	प्लम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सहायक लोटर और पालिशर, रफ),
171	लेपक
172	प्लास्टर (राजमिस्त्री ग्रेड II)
173	प्लम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी- II, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड II)
174	पाइपलाइन मिस्त्री
175	प्लम्बर – सह – फिटर
176	पालिशर
177	पालिशर(तल)
178	सिरधर लठे मन
179	भूविज्ञानी
180	ट्रेलर्स
181	टर्नर
182	गद्दी लगाने वाला
183	अपोलोस्टर (ग्रेड II और III)
184	पेंटर स्प्रे (श्रेणी II)
185	लकड़हारा
186	लकड़हारा चयन ग्रेड
187	लकड़हारा श्रेणी II
188	वर्क सिरकार
189	वेल्डर
190	एयरविनेह होलेज परिचालक
191	ऑटो इलेक्ट्रीशियन
192	पेंटर
193	लोहार
194	दर्जी
195	कंप्रेसर प्रचालक
196	ब्लास्टर -शॉट /फाइरेर
197	ड्राइवर
198	मुख्य रसोइया
199	चार्चमैन
200	बढ़ई
201	कंक्रीट मिक्सर प्रचालक

202	कंप्रेसर परिचर
203	एयर कंप्रेसर परिचर
204	ट्रैक्टर चालक
205	वाहन चालक
206	केमिस्ट और सहायक / केमिस्ट
207	सब-ओवरसियर (अयोग्य)
208	ड्रिलर
209	हैंडहोल ड्रिलर
210	ड्रिल मैकेनिक
211	ड्राइवर ऑटो
212	बिजली मिस्त्री
213	वायर लैस संचालक सहायक फोरमैन
214	फोरमैन
215	फिटर
216	फेरी चालक
217	जारीकर्ता लोको
218	सुपर फोरमैन
219	लहरा संचालक
220	आईएमसीई चालक
221	चालक
222	लोको ड्राइवर
223	लोडर प्रचालक
224	लारनमैन
225	मैकेनिक मशीनिस्ट /
226	राजमिस्त्री
227	प्रसाविका
228	टिन से मढ़नेवाला
229	सुपरवाइजरी मैकेनिक
230	केवल जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फॉस्फेट में पंप परिचर
231	पंप ऑपरेटर / चालक
232	धात्विक खान/ विनियम,1961 के तहत योग्यता प्रमाण पत्र के साथ खनन मेट
233	मिस्त्री
234	कुशल मजदूर
235	टर्नर
236	वरिष्ठ मैकेनिक
237	ड्राफ्टमैंन

238	पर्यवेक्षक
239	ड्राफ्ट्स मैन
240	वायरमैन
241	टिम्बर मैन / टिम्बर मिस्त्री इलैक्ट्र
242	स्टोन क्रेशर प्रचालक
243	क्रशर प्रचालक
244	माउल्डर
245	वेल्डर
246	ऑपरेटर
247	कार्य मिस्त्री
248	इंजन चालक
249	खनन इंजन चालक ग्रेड -II
250	इंजनमैन
251	वाल्वमैन
252	कटर
253	विंडिंग इंजन चालक ग्रेड -II
254	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) / मुख्य चौकीदार
255	फावरा प्रचालक
256	लिम्को लोडर प्रचालक
257	भूतल पर्यवेक्षक
258	डोजर संचालक
259	कंप्रेसर ड्रिलर
260	डम्पर ट्रैक्टर ऑपरेटर सहित
261	बॉयलर मैन (प्रमाण-पत्र सहित)
262	मशीनरी परिचर
263	एयर केडिशन मैकेनिक
264	क्रेच परिचर केवल मैग्नेसाइट, मैंगनीज और मीका माइन्स में
265	फावरा ऑपरेटर
266	पावर और पम्प हाउस प्रचालक
267	खान ग्रेड -I
268	ट्रैक्टर ऑपरेटर 80. टब रिपेयरर 81. खराद मिस्त्री
269	स्टेशनरी इंजन परिचर जेनरेटर ऑपरेटर 84. लोडिंग फोरमैन
270	डीजल मैकेनिक
271	फेरो प्रिंटर सह-अध्यक्ष
272	व्हाइट वॉशिंग और कलर वाशिंग मैन
273	ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर)

274	बोरमैन
275	बोरर
276	वायरमैन (ग्रेड II और III, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल)
277	ह्वाइट वोशर
278	व्हाइट वॉशर (चयन ग्रेड, द्वितीय श्रेणी)
279	वायरमैन
280	वेल्डर (श्रेणी II, ब्रिज कार्य)
281	वेल्डर गैस
282	मुक्कतम (धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत क्षमता प्रमाण-पत्र)
283	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य वर्ग जो भी नाम से जो कुशल प्रकृति के हैं
284	सहायक (फार्म)
285	सहायक (कैशियर)
286	पुस्तकालय अध्यक्ष
287	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
288	हिंदी अनुवादक
289	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
290	हिंदी अनुवादक
291	लेखा लिपिक
292	लिपिक
293	कंप्यूटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर
294	टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट
295	स्टोर पचिरर
296	एम. सी. लिपिक
297	मुंशी (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
298	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
299	स्टोर कीपर
300	स्टोर कीपर ग्रेड I, ग्रेड II, (मैट्रिकुलेट)
301	टाइम कीपर
302	टाइम कीपर (मैट्रिकुलेट-मैट्रिकुलेट नॉन)
303	बुक कीपर
304	कार्य मुंशी
305	कार्य मुंशी (अधीनस्थ)
306	पत्रिका लिपिक
307	टेलर लिपिक
308	दुकान लिपिक
309	टैली लिपिक

310	स्टोर जारीकर्ता
311	औजार धारक
312	कंप्यूटर / डेटा एंट्री ऑपरेटर
313	रिकार्ड धारक
314	अन्वेषक
315	फ़ाइल लिपिक
316	रजिस्टर कीपर
317	टाइम कीपर
318	लिपिक
319	मुंशी
320	टाइपिस्ट और अन्य श्रेणी जो भी नाम से पुकारते हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं

क्र.सं.	**अत्यधिक कुशल**
1	आर्टिफिशियल श्रेणी I
2	लोहार श्रेणी I
3	बढ़ई श्रेणी I
4	मशीन
5	हस्त श्रेणी -I
6	राजमिस्त्री श्रेणी -I
7	मैकेनिक (वरिष्ठ)
8	पेंटर (ग्रेड I श्रेणी I. स्प्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) श्रेणी -I
9	प्लम्बर (मुख्या, श्रेणी I)
10	मिस्त्री ग्रेड I
11	पालिशगर (स्प्रे ग्रेड I)
12	रोड इंस्पेक्टर ग्रेड I
13	लकड़हारा श्रेणी I
14	स्टोन कटर ग्रेड I
15	स्टोन कटर श्रेणी I
16	स्टोन चिसलर श्रेणी I
17	स्टोन मेसन श्रेणी स I
18	उप-ओवरसियर (कुशल)
19	टिलर श्रेणी I
20	टिनस्मिथ ग्रेड I और श्रेणी I

21	गद्दी लगाने वाला ग्रेड I
22	वार्निश करने वाला श्रेणी ।
23	वेल्डर-कम-फिटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
24	वेल्डर (गैस) श्रेणी ।
25	व्हाइट वॉशर श्रेणी ।
26	वायरमैन ग्रेड I, श्रेणी ।
27	लकड़हारा श्रेणी ।
28	चक्की (उपकरण) ग्रेड I
29	प्रचालक (बैचिंग प्लांट ग्रेड I)
30	लीडर ग्रेड I
31	पाइल ड्राइविंग ग्रेड I
32	पंप ग्रेड
33	स्क्रेपर ग्रेड I
34	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड I
35	पंप ग्रेड I
36	स्क्रेपर ग्रेड I
37	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
38	आर्मेचर विंडर ग्रेड I
39	लोहार ग्रेड I और श्रेणी I
40	बॉयलरमैन ग्रेड I
41	बॉयलरमैन फोरमैन ग्रेड I
42	ईंट परत श्रेणी ।
43	केबल जॉइनर ग्रेड I
44	बढ़ई ग्रेड I और श्रेणी I
45	सेलो कटर और डेकोरेटर
46	चार्जमैन श्रेणी ।
47	चेकर र) ड्राइवर लॉरी ग्रेडसीनिय)I
48	मोटर लॉरी ग्रेड I
49	मोटर व्हीकल श्रेणी I और डीजल इंजन ग्रेड I
50	रोड रोलर ग्रेड I
51	पंप क्लास इलेक्ट्रीशियन ग्रेड I और श्रेणी I / ग्रेड I

52	फिटर (ग्रेड I, श्रेणी I)
53	पाइप श्रेणी श्रेणी I (मुख्य)
54	फोरमैन (सहायक) लाइनमैन ग्रेड I राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड I श्रेणी I)
55	मस्त रिग
56	मैकेनिक श्रेणी I और श्रेणी II
57	मैकेनिक (डीजल ग्रेड I और रोड रोलर ग्रेड I
58	एयरकंडिशनिंग ग्रेड I / श्रेणी I, मिस्त्री ग्रेड I
59	मिस्त्री एयरकंडिशनिंग ग्रेड)I)
60	ओवरसियर
61	ओवरसियर (सीनियर और जूनियर)
62	ड्रैगलाइन ग्रेड I
63	ड्रिल ग्रेड I
64	डम्पर ग्रेड I
65	खुदाई ग्रेड I
66	कांटा लिफ्ट ग्रेड I
67	जेनरेटर ग्रेड I
68	रिगर ग्रेड I
69	रिगर ग्रेड II
70	चार्पर सिटर ग्रेड /I
71	फावड़ा और ड्रैगलाइन ट्रैक्टर ग्रेड I
72	ट्रेड्समैन क्लास I
73	टर्नर मिलर ग्रेड /I
74	कार्य सहायक) ग्रेड)I
75	कंपाउंडर
76	सर्वेयर
77	विंडिंग इंजन चालक
78	ऑपरेटर (भारी मिट्टी उठाने वाली बेलचा और बुलडोजर)
79	मूख्य मिस्त्री
80	डिप्लोमा सहित स्टाफ नर्स
81	जैक हैमर के अतिरिक्त ड्रिल ऑपरेटर
82	योग्यता प्रमाण पत्र सहित विद्युत पर्यवेक्षक

83	अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस
84	मुख्य मैकेनिक
85	योग्य और अनुभवी वेल्डर
86	मशीन टूल मैकेनिक
87	मैकेनिकल / प्लांट फोरमैन
88	खनन पर्यवेक्षक
89	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक / शिक्षक
90	मुख्य इलेक्ट्रीशियन
91	लेखापरीक्षक
92	7 साल की सेवा वाले स्टेनो
93	स्टोर प्रभारी
94	शिफ्ट प्रभारी
95	पर्यवेक्षक
96	वॉच और वार्ड के प्रभारी
97	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
99	क्रेन ग्रेड I
100	डीजल इंजन ग्रेड I
101	डोजर ग्रेड I
102	क्लैंप शैल ग्रेड I
103	कंप्रेसर ग्रेड I
104	ग्रेडर ग्रेड I
105	ट्रैक्टर ग्रेड I
106	वाइब्रेटर ग्रेड I
107	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड I
108	बेलचा ग्रेड I
109	फावड़ा और ड्रैगलाइन
110	टायरवेलकुलर ग्रेड I
111	सिक्योरिटी गार्ड (सशस्त्र) और अन्य श्रेणियों को जो भी नाम से बुलाया जाता है जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं।